न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00110

1. उदयलाल आत्मज स्व0 श्री भंवर लाल जी ।
2. प्रकाश मेहरा आत्मज स्व0 भंवर लाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
2. जीतमल आत्मज रामा जी जाति भील निवासी नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सईद अहमद, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.06.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी कम 01 के पिता व वादीगण कम 1 व 2 के पिता स्व0 श्री भंवर लाल को दिनांक 25.10.1977 को सरकार द्वारा भूमि आवंटन की गई थी जिसका खसरा नम्बर 136 रकबा 20 बीघा वाके ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा है । आवंटन के बाद से ही उक्त भूमि पर आवंटी भंवर लाल जी काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं । आवंटी द्वारा आवंटन के बाद आवंटन की समस्त राशि जमा करवा दी गई है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 237 डाला गया जो 0.51 हैक्टर है । यह कम भूमि दर्ज की गई

है । वादीगण उक्त भूमि जो सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज की गई है को दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादगणी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण के पिता एवं पति के कब्जे काश्त की आराजी जिसका पुराना खासरा नम्बर 136 मिन रकबा 20 बीघा वाके ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिसका रकबा बाद सेटलमेंट द्वारा खसरा नम्बर 237 कायम कर रकबा 0.51 हैक्टर कायम किया गया है जो पूर्व रकबे से कम है का रकबा पूर्ण करवाया जावे । उक्त भूमि सेटलमतेंट विभाग द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी कम 02 के नाम दर्ज कर दी गई है जिसे राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर पुनः वादीगण के खाते दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे तथा नक्शा ट्रेस आदि में दुरूस्ती की जावे ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत का नोटिस भी नहीं दिया और उनकी अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को दिनांक 25.10.1977 को पुराने खसरा नम्बर 136 की 20 बीघा भूमि वाके ग्राम आवंली आवंटित हुई थी । इंतकाल संख्या 166 से उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता के पक्ष में नियमन हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था । पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी इसको लोक अदालत में रखा गया । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि उनको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ । अपीलान्ट के द्वारा अपने पिता को किये गये आवंटन की जमाबन्दी संवत् 2032–35 पेश की थी, आवंटन पत्र भी पेश किया था । रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया फिर भी अंकित किया गया कि अपीलान्ट ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 0.51 हैक्टर कम दर्ज की गई है जिसको दुरूस्त करने की बात भी कहीं गयी थी । खसरा नम्बर 237 रकबा 0.51 हैक्टर गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुई है । सीपीसी

की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2014 को बरजी बाई की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी इसको दिनांक 16.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया । वादी क्रम 03 प्रकाश और प्रतिवादी संख्या 02 जीतमल की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.6.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा